पंचदश बिहार विधान सभा

सप्तदश सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-02 मंगलवार, दिनांक- 04 अगस्त, 2015 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री उदय नारायण चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.02 बजे पूर्वा० तक ।

''आसन से प्रश्नोत्तर काल शुरू किए जाने की घोषणा के साथ ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण विभिन्न विषयों पर चर्चा की मांग को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गए ।

आसन द्वारा बार-बार उनसे अनुरोध किया गया कि उन्हें जो भी कहना है अपनी सीट पर जाकर कहें और सदन को चलाने में मदद करें लेकिन सदन में शांति कायम नहीं हो सकी तथा सदन की बैठक 2.00 बजे अप० तक के लिए स्थगित हुई ।''

(भोजनावकाश के बाद)

(2.00 बजे अप० से 3.42 बजे अप० तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[1] विधायी कार्य :- राजकीय विधेयक :-

(i) ''बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार विधेयक, 2015'' :-

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री (मुख्यमंत्री) श्री नीतीश कुमार द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री विनोद नारायण झा द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रचारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ । माननीय प्रभारी मंत्री (मुख्यमंत्री) द्वारा विधेयक के खंड 8(1) में भाषाई त्रुटि संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति उपरांत खंडश: विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री विनोद नारायण झा का खंड-8 में दो संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा बारी-बारी से विधेयक के सभी खंड विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

विधेयक ध्वनिमत से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(ii) **"बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक 2015" :-**

माननीय प्रभारी मंत्री (वित्त, वाणिज्यकर विभाग) श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्य श्री विनोद नारायण झा द्वारा विधेयकों को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विचार के प्रस्ताव को स्वीकृति उपरांत खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री विनोद नारायण झा का खंड-दो एवं तीन में संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा बारी-बारी से सभी खंड विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री नंद किशोर यादव द्वारा पक्ष रखा गया तथा प्रभारी मंत्री द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

विधेयक ध्वनिमत से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(iii) **"बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक 2015" :-**

माननीय प्रभारी मंत्री (वित्त, वाणिज्यकर) श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री विनोद नारायण झा द्वारा विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्य श्री विनोद नारायण झा द्वारा प्रवर समित्ति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्षा रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री विनोद नारायण झा का खंड-I एवं III में छः संशोधनों का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा बारी-बारी से सभी खंड विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । नेता प्रतिपक्ष श्री नंद किशोर यादव द्वारा पक्ष रखा गया ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा उत्तर दिया गया । विधेयक ध्वनिमत से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(iv) **"बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) विधेयक 2015" :-**

माननीय प्रभारी मंत्री (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) श्री नरेन्द्र नारायण यादव द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री विनोद नारायण झा द्वारा विधेयक के जनमत जानने हेतु प्रचारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति उपरांत सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

विधेयक ध्वनिमत से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

[2] **निवेदन :-**

आसन से घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत कुल 7 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जाएँगे ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक बुधवार, दिनांक-05 अगस्त, 2015 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गई ।

पटना
दिनांक-04 अगस्त, 2015

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।